



दावा अन्तर्गत धारा 88-53 आर.टी.ए.बाबत घोषणा खाता विभाजन

निर्णय

दिनांक:- 7-12-2020

वादीगण की ओर से श्री खुशप्रीत सिंह अधिवक्ता, प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 की ओर से श्री शमशेर सिंह वाद में आज दिनांक 9/12/2020 को कपिल यादव, आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर हनुमानगढ़ के समक्ष अंतिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाकर खित्री की जाती है कि उभयपक्ष के मध्य हुये राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88-53 के अन्तर्गत वादपत्र में वर्णित प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 प्यारा सिंह-दारा सिंह-अच्छर सिंह-केवल सिंह के नाम तहसील हनुमानगढ़ के चक 48 एन.जी.सी. के खाता संख्या 101/93 सम्वत 2076-2079 में कुल तादादी 1.492 हैक्टेयर में से वादीगण को .506 हैक्टेयर बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किये जाते है तथा उक्त खाता संख्या 101/93 का शेष रकबा 0.986 हैक्टेयर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 का बहिस्सा बराबर यथावत रहेगा। मुताबिक घोषणा व राजीनामा वादीगण ने अच्छी-मन्दी के लिहाज से विभाजन निम्नानुसार किया जाता है:-

(A) वादी संख्या 1 जगसीर सिंह पुत्र श्री प्यारा सिंह को विभाजन में प्राप्त भूमि:-

चक	प0नं0	मु0नं0	किला नम्बर	तादादी
48 एन.जी.सी. के खाता संख्या 101/93 सम्वत 2076-2079	132/256	8	7/.253	0.253 है0

(B) वादी संख्या 2 लखवीर सिंह पुत्र दारा सिंह को विभाजन में प्राप्त भूमि:-

चक	प0नं0	मु0नं0	किला नम्बर	तादादी
48 एन.जी.सी. के खाता संख्या 101/93 सम्वत 2076-2079	132/256	8	8/.253	0.253 है0

तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भारमुक्त होने की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में

मिलान किया

प्रमाणित प्रतिलिपि  
उपखण्ड अधिकारी  
हनुमानगढ़

उपखण्ड अधिकारी  
हनुमानगढ़

-2-

अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी / बारानी / गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 9/12/2020 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

मोहर

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

(कपिल यादव)

उपखण्ड अधिकारी एवम्  
पदेन सहायक कलेक्टर  
हनुमानगढ़